यूको बैंक
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग
१८, एन.एस. रोड (दूसरा तल), कोलकाता-७०० ००१

सूची में सम्मिलित करने हेतु अधिसूचना

यूको बैंक जिसका प्रधान कार्यालय कोलकाता में है, निम्नलिखित को सूची में सम्मिलित करने हेतु मुहरबंद लिफाफे में आवेदन मांगता है:

क) एम आई सी आर चेक पेपर का उत्पादन करनेवाले पेपर मिल अथवा ख्यातिप्राप्त पेपर मिल के डीलर और
ख) लिखतों के सिक्यूरिटी मुद्रण हेतु भारतीय बैंक सं`ा द्वारा अनुमोदित सिक्यूरिटी मुद्रक। ये आवेदन नीचे दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा में किए जाएं। (प्रत्येक ट`ेड के लिए अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाए)

श्रेणी : (क) एम आई सी आर चेक पेपर का उत्पादन करनेवाले पेपर मिल अथवा ख्यातिप्राप्त पेपर मिलों के अनुमोदित डीलर (एम आई सी आर चेक बनानेवाले और उन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के बैंक/सरकारी विभाग को सीधे अथवा अपने प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से न्यूनतम ५ वर्ष की अवधि के लिए आपूर्ति करनेवाले)। बैंक द्वारा खरीदे जानेवाले एम आई सी आर चेक पेपर पर यूको बैंक का अंर्तनिहित जल चिह्न (वाटर मार्क) प्रयोग हेतु अवश्य रहेगा।

पात्रता मानदंड: क) आवेदक भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय बैंक सं`ा (आईबीए) विनिर्दिश के अनुरूप एम आई सी आर चेक पेपर की आपूर्ति हेतु ख्यातिप्राप्त पेपर मिल का अनुमोदित पेपर डीलर हो।

ख) डीलर और/अथवा पेपर मिल की न्यूनतम बिक्री/उसका कुिल कारोवार (टर्नओवर) प्रति वर्ष एक करोड रु. हो तथा उसने पिछले तीन लगातार वर्षों में निवल लाभ अर्जित किया हो।

ग) सूची में सम्मिलित किए गए डीलरों को सावधि जमा के रूप में १ लाख रु. की प्रतिभूति जमा यूको बैंक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग, प्रधान कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

‘ा) पेपर डीलरों अथवा पेपर मिल के अपने कार्यालय कोलकाता में होना चाहिए।

‘) पेपर डीलर और/अथवा पेपर मिल सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एम आई सी आर चेक पेपर के आपूर्तिकर्ता हों।

निम्नलिखित दस्तावेज निर्धारित फार्म के साथ संल्गन किए जाएं:

i) ख्यातिप्राप्त पेपर मिल के (पेपर डीलर के मामले में) डीलर होने के सबूत के रूप में दस्तावेजों की प्रतियां

ii) आय कर, पैन कार्ड, वैट का पंजीकरण प्रमाणपत्र, ट-े ड लाइसेंस, कंपनी के मामले में कंपनी रजिस्ट-ार अथवा भागीदारी रजिस्ट-ार, जो भी लागू हो, द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र

iii) पिछले तीन लगातार वर्षों (अर्थात ३०.०३.२००६ से ३१.०३.२००९ तक) के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा की प्रतियां

iv) प्रयोक्ताओं से ग्राहक सूचना एवं कार्य-निष्पादन संबंधी प्रमाणपत्र/उन बैंकों से प्राप्त आदेश की जेरॉक्स प्रति जिन्हें पेपर मिलों/पेपर डीलरों द्वारा पेपर की आपूर्ति की जाती है।

v) यदि पेपर मिल अथवा पेपर के डीलरों ने पिछले पाँच वर्ष के दौरान किसी भी समय यूको बैंक को पेपर की आपूर्ति की है तो उस स्थिति में आदेश की प्रति संलग्न की जाए। कृपया यूको बैंक के पास रखी गई प्रतिभूति जमा, यदि कुछ हो, का उल्लेख भी किया जाए।

आवेदन इन्हें प्रस्तुत किया जाए:

मुख्य अधिकारी
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग
यूको बैंक, प्रधान कार्यालय,
१८, एन.एस. रोड, दूसरा तल
कोलकाता-७०० ००१

आवेदन का फार्मेट (श्रेणी : क)

विषय: **एसआईसीआर चेक पेपर का उत्पादन करनेवाले पेपर मिल/ख्यातिप्राप्त पेपर मिलों के डीलर को सूची में सम्मिलित करने हेतु आवेदन**

१) पेपर मिल/पेपर डीलर का नाम:
२) पता: क) कार्यालय
ख) कोलकाता के कार्यालय का पता:

३) निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी/सम्पर्क किए जानेवाले व्यक्ति का नाम और दूरभाष सं:
४) स्थापना- वर्ष
५) क) ट-े्ड लाइसेंस सं. एवं तारीख
ख) वैट पंजीकरण सं.
ग) आय कर पैन सं.
६) पेपर मिल का नाम जिसका डीलर आवेदक है (डीलर के मामले में प्रयोज्य)

७) भारत के विभिन्न भागों में पेपर के वितरण की प्रणाली (अर्थात क्या किराये पर लिये गए वाहन पर निर्भर करते हैं अथवा अपने पास वाहन है)
८) बैंकर (बैंकर (बैंकरों) (यूको बैंक से नहीं) के शेधक्षमता प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्रों) के साथ पेपर मिल अथवा डीलर के बैंकर का नाम और पता
९) निम्नलिखित तारीख को समाप्त पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक कुल कारोबार (टर्नओवर)/बिक्री:-

<u>३१.३.२००६</u>   <u>३१.०३.२००७</u>
<u>३१.०३.२००८</u>

(आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्ष्र)

ध्यान दीजिए: सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जाए।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख २६.०८.२००९ को १.०० बजे मध्यान् है। यदि बैंक द्वारा आवेदकों को सूची में सम्मिलित किया जाता है तो सूची में सम्मिलित किए जाने की सूचना बैंक की वेबसाइट के माध्यम से उन्हें यथासमय दी जाएगी।

श्रेणी (ख) :

<u>सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस के लिए आवेदन</u>

आवेदन का फार्मेट (श्रेणी : ख)

विषय : लिखतों के सिक्यूरिटी मुद्रण के लिए सिक्यूरिटी मुद्रकों <u>को सूची में सम्मिलित करने हेतु आवेदन</u>

१. सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस का नाम :

२. पता क) कार्यालय/प्रेस :
ख) पेपर गोदाम/स्टोर
:

३. प्रेस का सं‘ाटन : एकल स्वत्वधारिता/भागीदारी/कंपनी (प्रा.) लि.

४. क) स्वत्वधारी/भागीदारों/निदेशकों के नाम :
ख) संपर्क किए जानेवाले व्यक्ति का नाम और दूरभाष सं. :

५. बैंकों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम जिनकी सिक्यूरिटी प्रिंटिंग का कार्य किया जा रहा है और उनके कार्य-निष्पादन प्रमाणपत्र :

६. ट->ड लाइसेंस सं. एवं जारी करने की तारीख :

७. एस एस आई पंजीकरण, यदि कोई हो :

८. आय कर पैन सं.

९. वैट पंजीकरण सं.
:

१०. भा.बैंक सं‘ा पंजीकरण/

११. क्या वे पहले यूको बैंक की सूची में सम्मिलित सिक्यूरिटी प्रिंटर थे ?

१२. पिछले तीन वर्ष के दौरान वार्षिक कुल कारोबार (टर्न ओवर/बिक्री) :

३१.०३.२००६	३१.०३.२००७	३१.०३.२००८	

विशेष शर्त

क)	यदि सूची में सम्मिलित करने हेतु सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस को यूको बैंक में चुना जाता है तो उन्हें यूको बैंक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग के पास प्रतिभूति जमा के रूप में १,००,०००/- की सावधि जमाराशि रखनी होगी।

ख)	पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम वार्षिक बिक्री/कुल कारोबार (टर्नओवर) १ करोड रु. होना चाहिए।

ग)	पिछले तीन वर्षों का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखन प्रस्तुत किया जाए।

‘ा)	भारतीय बैंक सं‘ा द्वारा बनाए रखे गए अनुमोदित प्रिंटरों की तालिका में हों।

‘)	प्रिंटिंग प्रेस ने दि. ३१.०३.२००८ को समाप्त पिछले प्रत्येक तीन वर्ष में निवल लाभ अर्जित किया हो।

उपर्युक्त फार्मेट में आवेदन मुहरबंद लिफाफे में निम्नलिखित को संबोधित कर प्रस्तुत किया जाए :

मुख्य अधिकारी,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री विभाग,
यूको बैंक, प्रधान कार्यालय
१८, एन. एस. रोड (दूसरा तल), कोलकाता-७००००१

ध्यान दीजिए : सभी संगत दस्तावेजों की प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख २६.०८.२००९ १ बजे मध्याह्न तक है। यदि बैंक द्वारा आवेदकों को सूची में सम्मिलित किया जाता है तो बैंक के वेबसाइट प्रदर्शन के माध्यम से उन्हें सूची में सम्मिलित की जाने की सूचना यथासमय दी जाएगी। ऐसे मुद्रकों, जिन्हें यूको बैंक की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है और जो नियमित रूप में बैंक का मुद्रण-कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह जरूरी नहीं है कि वे अपने को सूची में सम्मिलित करने हेतु फिर से आवेदन करें क्योंकि विद्यमान मुद्रक विद्यमान प्रणाली के अनुसार बैंक का मुद्रण कार्य करते रहेंगे।